



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- पाली में पटवारी 15 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 12 अगस्त। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई द्वारा आज गुरुवार को पाली में कार्यवाही करते हुये घेवरचंद पटवारी, पटवार मण्डल बाला, अतिरिक्त प्रभार कुरना, तहसील व जिला पाली को परिवारी से 15 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई को परिवारी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माइंस स्थापना हेतु पार्टनरशीप लीज की म्यूटेशन खोलने की एवज में घेवरचंद पटवारी, पटवार मण्डल बाला, अतिरिक्त प्रभार कुरना, तहसील व जिला पाली द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचन्द मीणा एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये घेवरचंद पुत्र श्री रूपाराम निवासी घाचियों का मौहल्ला, ग्राम रूपावास, तहसील व जिला पाली हाल घेवरचंद पटवारी, पटवार मण्डल बाला, अतिरिक्त प्रभार कुरना, तहसील व जिला पाली को परिवारी से 15 हजार रुपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।